News

गतिशीलता संबंधी समस्याओं से मुक्त यात्री व्हीलचेयर के लिए भुगतान कर सकते हैं: डीजीसीए

प्रस्ताव का उद्देश्य व्हीलचेयर के दुरुपयोग को रोकना है और यह प्राधिकरण द्वारा जारी मसौदा मानदंडों का हिस्सा है; बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हवाई अड्डों पर व्हीलचेयर की कमी के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति का गठन करने का आदेश दिया था।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने व्हीलचेयर के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए एयरलाइनों को बिना किसी गतिशीलता संबंधी समस्या या विकलांगता वाले यात्रियों को सशुल्क सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें विकलांग या सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों को मुफ्त सहायता प्रदान करने के लिए किसी भी शारीरिक या मानसिक चुनौती की पुष्टि हेतु दस्तावेज तैयार करने का सुझाव दिया गया है।

डीजीसीए का सुझाव है कि हवाई अड्डों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि हवाई अड्डे के प्रवेश द्वारों पर कार छोड़ने के स्थान विशेष आवश्यकता वाले हवाई यात्रियों के लिए निर्धारित हों, और ये बिना किसी बाधा के उपयोग के लिए उपलब्ध रहें। हवाई अड्डों को सहायता प्रदान करने और एयरलाइनों के साथ समन्वय करने के लिए इन स्थानों पर कर्मचारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है।

ये प्रस्ताव विकलांग और कम गतिशीलता वाले हवाई यात्रियों के लिए संशोधित मसौदा नियमों का हिस्सा हैं, जिन्हें विमानन सुरक्षा नियामक ने 19 सितंबर तक हितधारकों की टिप्पणियों के लिए जारी किया है। संशोधित मानदंड 25 सितंबर को बॉम्बे उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई से पहले सार्वजनिक किए गए हैं। न्यायालय ने अप्रैल में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोदा रघुराम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसका उद्देश्य व्हीलचेयर की उपलब्धता और वरिष्ठ नागरिकों तथा विंशेष आवश्यकता वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना था। समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि पर्याप्त सुविधाओं तक पहुँच ऐसे व्यक्तियों का "मौलिक मानवाधिकार" है।

नया प्रस्ताव

नागरिक उद्दयन आवश्यकताओं (CAR) के मसौदे में खंड 4.1.37 में कहा गया है, "एयरलाइन विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) और कम गतिशीँलता वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य यात्रियों से, जो इन सेवाओं का उपयोग करना चुनते हैं, उचित सहायता शुल्क ले सकती है।" सिंगापुर एयरलाइंस जैसी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस "मिलें और सहायता सेवाएँ" प्रदान करती हैं, जिनमें बुज़ुर्ग और अंग्रेज़ी न बोलने वाले यात्रियों या संवेदी विकलांगता या संज्ञानात्मक अक्षमताओं वाले यात्रियों के लिए बोर्डिंग, उतराई या उड़ान स्थानांतरण के दौरान सहायता शामिल है, साथ ही बड़े और अपरिचित हवाई अड्डों पर नेविगेशन में सहायता भी शामिल है, जहाँ यात्रियों को व्हीलचेयर की आवश्यकता नहीं होती।

इस कदम का उद्देश्य व्हीलचेयर के दुरुपयोग को रोकना है ताकि एयरलाइनों और हवाई अड्डों के पास सीमित मात्रा में व्हीलचेयर उन लोगों को उपलब्ध कराई जा सकें जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। एयरलाइनों द्वारा इसकी सूचना मुख्यतः अंतर्राष्टीय उडानों में दी जाती है, हालाँकि घरेलू उड़ानों में भी व्हीलचेयर न देने के कई मामले सामने आए हैं।

विकलांगता अधिकार गठबंधन की सदस्य वैष्णवी जयकुमार कहती हैं, "बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, जिनमें कर्बसाइड सहायता और एम्बुलिफ्ट की कॅमी शामिल है, जिसके कारण व्हीलचेयर पर सवार यात्रियों को सीढ़ी से नीचे इस तरह ले जाया जाता है जो न केवल अपमानजनक और असुविधाजनक है, बल्कि असुरक्षित भी है। इसके अलावा, सभी वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर की आवश्यकता या इच्छा नहीं हो सकती है, उनके लिए गोल्फ कार्ट या बग्गी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।"

उन्होंने कहा, "पिछले सीएआर संशोधन में अत्यधिक भेदभावपूर्ण फिट-टू-फ्लाई प्रावधान की तरह, यह अशुभ है कि नवीनतम प्रावधान एक व्यापक यात्री सुविधा प्रोटोकॉल के बजाय विकलांगता-केंद्रित दस्तावेज में दिखाई देता है।"

स्वास्थ्य मंत्रालय नई दवाओं और परीक्षणों के लिए लाइसेंस नियमों को आसान बनाने की योजना बना रहा है

दवा और नैदानिक अनुसंधान क्षेत्रों में व्यापार को आसान बनाने के उद्देश्य से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन करने जा रहा है। प्रस्तावित संशोधनों को 28 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और जनता की टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं।

इन संशोधनों का उद्देश्य परीक्षण लाइसेंस प्राप्त करने और जैवउपलब्धता एवं जैवसमतुल्यता पर अध्ययन से संबंधित आवेदन जमा करने की आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताओं में परीक्षण लाइसेंस और जैवउपलब्धता एवं जैवसमतुल्यता पर अध्ययन के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल है।

अधिसूचना प्रणाली

बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधन के तहत, परीक्षण लाइसेंस की वर्तमान प्रणाली को अधिसूचना और सूचना प्रणाली में बदल दिया गया है।

मंत्रालय ने कहा, "इसके ज़रिए, आवेदकों को परीक्षण लाइसेंस (उच्च जोखिम वाली दवाओं की एक छोटी श्रेणी को छोडकर) के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें केवल केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचित करना होगा। इसके अतिरिक्त, परीक्षण लाइसेंस आवेदनों के लिए कुल वैधानिक प्रक्रिया समय 90 दिनों से घटकर 45 दिन हो जाएँगा।"

इस प्रकार, संशोधन के तहत, जैवउपलब्धता/जैव तुल्यता अध्ययनों की कुछ श्रेणियों के लिए मौजूदा लाइसेंस आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, और इसके बजाय केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचना या अधिसूचना प्रस्तुत करने पर ये अध्ययन शुरू किए जा सकेंगे। इन नियामक सुधारों से आवेदनों के प्रसंस्करण की समयसीमा में उल्लेखनीय कमी आने से हितधारकों को लाभ होने की उम्मीद है। इनसे परीक्षण लाइसेंस के लिए जमा किए जाने वाले आवेदनों की संख्या में भी लगभग 50% की कमी आएगी।

राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में निजी क्षेत्र के बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका: वित्त मंत्री

The Hindu Bureau

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निजी क्षेत्र के बैंकों ने राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मंगलवार को चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक (सीयूबी) के 120वें स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए, सुश्री सीतारमण ने कहा कि भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता में भारी सुधार दर्ज किया हैं।

"हमारे द्वारा किए गए वृहद दबाव परीक्षण से ऐसे परिणाम सामने आए हैं कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल पूंजी स्तर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों में भी नियामक न्यूनतम से ऊपर बना रहेगा। लंगभग रिकॉर्ड निम्न एनपीए वाले मजबूत और अच्छी तरह से पुंजीकृत बैंकों का अर्थ है परिवारों, एमएसएमई और बुनियादी ढाँचे



उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो सभी अनुमानों से अधिक है और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी गति दर्शाती है।

मंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों के लागू होने से अर्थव्यवस्था और अधिक खुली और पारदर्शी बनेगी, अनुपालन बोझ में और कमी आएगी, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए फल-फूलना आसान हो जाएगा।

उन्होंने बैंकों से न केवल ऋण का विस्तार करने, बल्कि बुनियादी ढाँचे के विकास को गति प्रदान करने, एमएसएमई के लिए समय पर और आवश्यकता-आधारित वित्तपोषण सुनिश्चित करने, बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाने और विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का आग्रह किया, जहाँ बैंकिंग चैनलों का समर्थन महत्वपूर्ण है, और विश्वास, प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता इस

परिवर्तन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और बैंकिंग उद्योग ने इसकी विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

अपने स्वागत भाषण में, सीयूबी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. कामकोडी ने 1904 में स्थापित बैंक की 120 साल पुरानी विरासत और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका को याद किया।

कार्यक्रम के दौरान, "बैंक ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी" नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, समाज कल्याण एवं महिला अधिकारिता मंत्री पी. गीता जीवन और सीयबी के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष जी. महालिंगम भी उपस्थित

ट्रम्प ने कहा, भारत अपने भारी टैरिफ से अमेरिका को 'मार' रहा है

Press Trust Of India NEW YORK/WASHINGTON

व्यापार और शुल्कों को लेकर वाशिंगटन के साथ भारत के बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड टंप ने दावा किया कि भारत टैरिफ लगाकर अमेरिका को "मार" रहा है और अब उसने "कोई टैरिफ नहीं" लगाने का प्रस्ताव रखा है। श्री ट्रंप ने मंगलवार को एक रेडियो शो में कहा, "उन्होंने हम पर टैरिफ लगाए हैं। चीन, जो टैरिफ लगाकर हमें मार रहा है। भारत हमें टैरिफ लगाकर मार रहा है। ब्राज़ील हमें [टैरिफ लगाकर] मार रहा है।"

एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि दुनिया भर के देशों पर श्री ट्रंप द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ अवैध हैं। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह मामला दूसरे देशों द्वारा "प्रायोजित" है क्योंकि "वे हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं"। उन्होंने आगे कहा, "वे अब और फ़ायदा नहीं उठाएँगे।"

रामायण में गजेन्द्र की कथा

गजेंद्र मोक्ष की कथा दर्शाती है कि भगवान के भक्तों का श्राप भोगने वाले दंड से बच नहीं पाते। गजेंद्र नामक हाथी, एक समय राजा था। उसने अगस्त्य ऋषि को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने उसे हाथी के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जिस मगरमच्छ ने गजेंद्र को पकड़ा था, वह भी कभी एक दिव्य प्राणी था। उसने ऋषि देवल के साथ शरारत की थी और उनका अपमान किया था। हाथी और मगरमच्छ, दोनों को अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ। ऋषियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान विष्णु उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे।

त्रिची श्री कल्याणरामन ने एक प्रवचन में कहा कि कवि कंबर ने अपनी रचना कम्ब रामायणम् में गजेंद्र मोक्ष कथा का प्रयोग कई संदर्भों में एक रूपक के रूप में किया है। इस रूपक में, राजा दशरथ की तुलना एक हाथी से की गई है, जो मगरमच्छ कैकेयी द्वारा बंदी बना लिया गया था, और अपने वचनों के प्रति उनकी निष्ठा अपने जीवन की चिंता से भी बढकर थी। इसी प्रकार, राम ने राक्षस विराध को पराजित करने के बाद कहा कि वे बंधन से मुक्त हो गए हैं, ठीक उसी तरह जैसे हाथी मगरमच्छ से मुक्त हो

हनुमान ने रावण की तुलना मगरमच्छ से और सीता की तुलना बंदी हाथी से की, और इस बात पर ज़ोर दिया कि सीता भी गजेंद्र की तरह फँसी हुई हैं और उन्हें बचाव की ज़रूरत है, और राम ही उनके मुक्तिदाता होंगे। विभीषण ने प्रह्लाद की कथा सुनाते हुए बताया कि प्रह्लाद के पिता हिरण्यकश्यप ने एक हाथी काँ इस्तेमाल करके उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। प्रह्लाद ने प्रार्थना की, और उस हाथी के वंश को गजेंद्र से पहचाना, जिसे भगवान नारायण ने बचाया था, और हाथी में दिव्य उपस्थिति को स्वीकार किया, जिसने उसे बचा लिया। विभीषण की तुलना स्वयं गजेंद्र से की गई, और राम के चरणों में समर्पण करके, वे रावण के चंगुल से मुक्त

FAITH